कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1488/2020 हरीश चन्द्र अग्रवाल बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 30.01.2020 द्वारा श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, प्रधानाचार्य की याचिका को अन्तिम रूप से खारिज करते हुए श्री अग्रवाल को माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 30.01.2020 के अनुसरण में श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल द्वारा दिनांकः 25.02.2020 को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी पत्नी के कैंसर रोग से पीड़ित होने को दृष्टिगत रखते हुए अपना समायोजन जयपुर/दौसा/टोंक अथवा अजमेर जिले में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय एवं विभागीय नियमों/परिपत्रों/दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी की पत्नी के गम्भीर कैंसर रोग से ग्रस्त होने, उनकी निरन्तर कैमोथेरेपी की महती आवश्यकता एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में याचिकार्थी श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, (वर्तमान में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय हाजा) का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलाड़, जवाजा जिला अजमेर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, प्रधानाचार्य को तत्काल कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की अनुपालना में तत्काल अपने नवीन समायोजन स्थान पर शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/हरीशचन्द्र/1488/291/2020 दिनांकः 28/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/जोधपुर संभाग, जयपुर/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/बाडमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तमलोर जिला बाडमेर को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)